ग्राम पंचायत कुठारना, विकास खंड रैत, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम -1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवम उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के द्रष्टिगत ग्राम पंचायत कुठारना, विकास खंड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे।

प्रधान

क्रमांक	**पदाधिकारी का नाम**	**अवधि**
1	श्रीमति नीलम देवी	01-04-14 से 22-01-16
2	श्री अशोक कुमार	23-01-16 से 31-03-17

सचिव

क्रमांक	**पदाधिकारी का नाम**	**अवधि**
1	श्री अंदल कुमार	01-04-2014 से 31-03-2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

ग्राम पंचायत कुठारना जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	**पैरा संख्या**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	5	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातो के अन्तशेष मे अन्तर	0.38
2	8	अनुदान राशियों का अवरोधन	19.07

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कुठारना, विकास खंड रेत, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18-12-17 से 26-12-17 तक ग्राम पंचायत कुठारना के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं ब्यय के लिये क्रमश: 02/2015, 08/2015, 03/2017 व

01/2015, 05/2015, 02/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत कुठारना, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0 प्र0 शिमला–09 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-118 दिनांक 26.12.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत कुठारना से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत कुठारना द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

4.1 स्व-स्त्रोत व अनुदान :-

ग्राम पंचायत कुठारना के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व–स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट 1 व 2** में भी दिया गया है ।

(क) स्व–स्त्रोत

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-2015	292724	49832	342556	74383	268173
2015-2016	268173	14493	282666	35272	247394
2016-2017	247394	115957	363351	176012	187339

(ख) अनुदान

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-2015	361692	3053123	3414815	3198540	216275
2015-2016	216275	2363607	2579882	2298930	280952
2016-2017	280952	4851530	5132482	3224961	1907521

कुल योग (क+ख) = 2094860

दिनांक 31.03.2017 को बैंक में जमा राशि का विवरण :-

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1	LARENEG	20040016446	TIAR BCCK	398396
2	CFST	50054953695	TIAR BCCK	44961
3	MHRN	50054953708	TIAR BCCK	3330
4	CST	50054953719	TIAR BCCK	11800
5	CFF/CFHT	50054953662	TIAR BCCK	1614483
6	PMWI	50059506460	TIAR BCCK	47364
7	FDW	50059506471	TIAR BCCK	11981
8		**DNAH NI HSAC**		**823**
		TOTAL		**₹2133138**

दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर=₹2133138 - ₹2094860 =₹38278

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.38 लाख का अन्तरः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कुठारना द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नही की है, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31—3—17 को रोकड बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹38278 का अन्तर (विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है) रोकड़ बही में कम शेष के रूप में है, जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

6 रोकड़ बही का नियमानुसार रख रखाव न करनाः—

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड बही प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों के उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ग्राम पंचायत कुठारना में रोकड बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नही की गई है । अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

7 बजट प्राक्कलन नियमानुसार निर्धारित फार्म में तैयार न करनाः—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप —11 में पंचायत के आय तथा ब्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया

कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नही किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

8 अनुदान ₹19.07 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–3–17 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹1907521 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा है।अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के ब्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को ब्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए । रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1 स्टाक रजिस्टर
2 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
3 जल प्रभार रजिस्टर
4 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
5 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
6 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
7 गृह कर बसूली रजिस्टर
8 डाक टिकट रजिस्टर
9 निर्माण कार्यों का रजिस्टर

10 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज किया गया है और न ही सत्यापन किया गया है जिसके बारे में स्थिति

स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

11 विविध अनियमितताऐंः–

11.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नही की जा रही है ।

11.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार,आयकर,विक्रीकर,लेवर, सैस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नही की जा रही है।

11.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है, जिसके बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में आवश्यक अभिलेख का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है ।

13 निष्कर्ष:-

लेखों के रखरखाव में हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बंधित कर्मचरियों को लेखाओं के रखरखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जायें ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)169/2018 खण्ड–1–4376–4379 दिनांक 18.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत कुठारना विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई

करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881